भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4765
दिनांक 20 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाओं का आकलन

4765. **श्री कंवर सिंह तंवर:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अमरोहा जिला, उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाओं, जिनमें पोषण सहायता, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, संरक्षण सेवाएं, महिला सशक्तिकरण पहल तथा किशोरियों के लिए सहायता कार्यक्रम शामिल हैं, की उपलब्धता और प्रभावकारिता के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त जिले में विगत तीन वर्षों के दौरान समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) की प्रगति, आंगनवाड़ी अवसंरचना एवं कार्मिकों की उपलब्धता, पोषण अनुपूरक संबंधी कवरेज, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण तथा योजनाओं के परिणामों की निगरानी के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(**क) से (ग)** नीति आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं का 2020 और फिर 2025 में तृतीय-पक्ष मूल्यांकन कराया है। इन अध्ययनों से पता चला है कि मंत्रालय की योजनाएं अत्यधिक प्रासंगिक हैं।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत, आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में अवसंरचना सुविधाओं में सुधार और कार्यबलों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, मनरेगा के साथ समन्वय में प्रति वर्ष 10,000 एडब्ल्यूसी की दर से 50,000 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मनरेगा के तहत 8.00 लाख रुपये, 15वें वित्त आयोग (एफसी) (या किसी अन्य असम्बद्ध निधि) के तहत 2.00 लाख रुपये और एमडब्ल्यूसीडी द्वारा प्रति एडब्ल्यूसी 2.00 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। यह निधि केंद्र तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य निर्धारित लागत हिस्सेदारी के अनुपात में वहन की जाती है।

- इसके अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस), ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आरआईडीएफ), पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग अनुदान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं से एडब्ल्यूसी भवनों के निर्माण के लिए निधि जुटाना जारी रखें।

- उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनजातीय आबादी लक्षित विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा वीवीपी (जीवंत ग्राम कार्यक्रम) – चरण-I के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए विभिन्न अन्य पहलें की गई हैं।

- आंगनवाड़ी केंद्रों में अवसंरचना सुविधाओं में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधाओं और शौचालयों के लिए निधि को क्रमशः 10,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये और 12,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये करना शामिल है।

- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और आंगनवाड़ी सहायिकाएँ स्थानीय समुदाय से ली गईं मानद कार्यकर्त्रियां हैं जो स्थानीय समुदाय की सहायता के लिए बाल देखभाल और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ प्रदान करने हेतु स्वेच्छा से आगे आती हैं इसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। यह मानदेय समय-समय पर बढ़ाया जाता है। केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत हिस्सेदारी अनुपात के अनुसार भारत सरकार ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर

2,250 रुपये प्रति माह कर दिया है। इसके अतिरिक्त, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियांओं को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन और टॉप-अप भी दे रहे हैं, जो प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं।

- इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यर्त्रियों को 500/- रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250/- रुपये प्रति माह का प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 केंद्र प्रायोजित योजना है। नीति एवं आयोजना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जबकि कार्यक्रम के दैनिक कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय लाभार्थियों को सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर संपर्क और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है।

योजनाओं के कार्यान्वयन और उनके परिणामों की नियमित रूप से विभिन्न उच्च स्तरों पर प्रत्यक्ष बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस और फील्ड विजिट के माध्यम से निगरानी की जाती है।
